निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 06/2023 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री कविता शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री अमजद खान पुत्र स्व. श्री अनवर खान, निवासी 1374, राधा किशन कुण्ड, चौकडी रामचन्द्र जी की, पन्नीगरो का रास्ता, मेहरो की नदी सुभाष चौक, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 48.300 किलोग्राम एल॰पी॰जी॰ एवं 2 इलेक्ट्रोनिक कांटे, 3 इलेक्ट्रोनिक मोटर, 2 पाने, 1 प्लास, 11 वॉल्ट, 1 पीतल की बांसुरी व 25 गैस सिलेण्डर की कैप को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नासिर खान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से है।

निर्णय दिनांक **03.12.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेण्डर से गाडियों में अवैध गैस रिफलिंग की शिकायत पुलिस चौकी सुभाष चौक से प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रूबरू मोतबिरान के दिनांक 18.01.2023 को मकान नम्बर 1374, राधा किशन कुण्ड चौकडी रामचन्द्र जी की, पन्नीगरान का रास्ता, मेहरो की नदी, सुभाष चौक जयपुर की जांच की गई। मौके पर श्री अमजद खान पुत्र स्व. श्री अनवर खान उपस्थित मिले एवं दुकान किराये की होना बताया। दौराने जांच मौके पर पाये गये 02 इलेक्ट्रोनिक कांटो पर 02 घरेलू सिलेण्डर बी॰पी॰सी॰ उल्टे रखे पाये गये जो कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिक मोटर से जुडे हुये पाये गये। इसके अतिरिक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 बी॰पी॰सी॰ एवं 01 एच॰पी॰सी॰), 25 गैस सिलेण्डर्स की कैप, 02 पाने, 01 प्लास, 11 वॉल्ट, 01 पीतल की बांसुरी व 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर और रखी पाई गई। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए. (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 23.01.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर

जिला कलक्टर
जयपुर

पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नासिर खान ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मकान नम्बर 1374, राधा किशन कुण्ड चौकडी रामचन्द्र जी की, पन्नीगरान का रास्ता, मेहरो की नदी, सुभाष चौक जयपुर पर स्थित दुकान की जांच करने पर 02 इलेक्ट्रोनिक कांटो पर घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी. उल्टे रखे पाये गये जो कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिक मोटर से जुडे हुये पाये गये। इसके अतिरिक्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर (2 बी.पी.सी. एवं 01 एच.पी.सी.), 25 गैस सिलेण्डर्स की कैप, 02 पाने, 01 प्लास, 11 वॉल्ट, 01 पीतल की बांसुरी व 1 इलेक्ट्रोनिक मोटर और रखी पाई गई। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से गाडियों में इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर आस पास से 1150 से 1200 में लिये जाते है व गाडियों में गैस भरने के 80 से 100 रूपये प्रति किलो लिये जाते है। मौके पर मैसर्स शांति गैस सर्विस के हॉकर श्री हरसहाय गुर्जर मय सॉल्टर मशीन के बुला कर पाये गये गैस सिलेण्डर का तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 48.300 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाव दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 18.01.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 48.300 किलोग्राम एल.पी.जी. एवं 2 इलेक्ट्रोनिक कांटे, 3 इलेक्ट्रोनिक मोटर, 2 पाने, 1 प्लास, 11 वॉल्ट, 1 पीतल की बांसुरी व 25 गैस सिलेण्डर की कैप मिली है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनो में इलेक्ट्रोनिक मोटर के माध्यम से एल.पी.जी. गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरांक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 48.300 किलोग्राम एल.पी.जी. एवं 2 इलेक्ट्रोनिक कांटे, 3 इलेक्ट्रोनिक मोटर, 2 पाने, 1

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्लास, 11 वॉल्ट, 1 पीतल की बांसुरी व 25 गैस सिलेण्डर की कैप को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 23.01.2023 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर